न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं. 44/2017 | निर्णय दिनांक:– 13-01-2021

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भंवरलाल पुत्र सीताराम
2– भरत पुत्र सीताराम
3– मोहनलाल पुत्र सीताराम
4– जुगराज पुत्र सीताराम
5– मंजूबाई पुत्री सीताराम
6– सुनीताबाई पुत्री सीताराम
7– कैलाशीबाई बैवा सीताराम
8– मूलीलाल पुत्र गोपीलाल
9– छोटूलाल पुत्र गोपीलाल
10– सीताबाई पुत्री गोपीलाल
11– रूकमणी बाई पुत्री गोपीलाल
जातियान कुम्हार निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)

(वादीगण)

बनाम

1– भैरूलाल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा
2– सुरेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा
3– परमानन्द पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा
4– ओमप्रकाश पुत्र कंवरलाल
5– बाबूलाल पुत्र कंवरलाल
6– कन्हैयालाल पुत्र कंवरलाल
7– शोभाग पुत्र कंवरलाल
8– कौशल्या पुत्री कंवरलाल
9– रामनाथी पत्नी कंवरलाल
जतियान मीणा निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)
10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादीगण)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर टी एक्ट

निर्णय

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा में सेटलमेन्ट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 71 मि0 जिसे खाते में 721/71 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नमबर 141 मि0 जिसे खाते में 724/141 रकबा 5 बीघा कुल 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि सीताराम , मूलीलाल, छोटूलाल आदि के खाते दर्ज थी, बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 है0 किस्म बाराम प्रथम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है, नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 व नकल जमाबन्दी संवत 2031 से 34 एवं मिलान क्षैत्रफल नक्शा पुराना व नया संलग्न है।

यह कि सेटलमेन्ट से पूर्व नक्शें में दर्शाये गये खसरा नम्बर 71 के दक्षिणी पूर्वी कोने व खसरा नमबर 141 के भी दक्षिणी पूर्वी कोने को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिवश वर्तमान खसरा नम्बर 93/860 दर्शातें हुये वादीगण के कब्जे व खाते की भूमि को सिवायचक करते हुये नक्शे में त्रुटि कर दी है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 720/71 पुराना नम्बर जिसके नवीन खसरा नम्बर 91 रकबा 3.23 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जो कि प्रतिवादी क्रम 4 ता 9 के खाते दर्ज है। उसका नक्शा भी सेटलमेन्ट विभाग रद्दोबदल करते हुये त्रुटिवश पुराने खसरा नमबर 71 मि0 का पूर्वी दिशा में तिकोनाखसरा नम्बर 720/71 में दर्शा दिया। जिसका नवीन खसरा नम्बर 91 है। अर्थात खसरा नम्बर 720/71 पुरो खसरा नम्बर के नक्शें को भी सेटलमेन्ट के पश्चात त्रुटिवश छोटा बना दिया है। जबकि उक्त तिकोने वाली भूमि पर प्रतिवादी क्रम 4 ता 9 ही सेटलमेन्ट से पूर्व से व वर्तमान में काबिज चले आ रहे है। हकीकत में वादीगण का उनसे कोइ विवाद नहीं है। किन्तु नक्शें में त्रुटि कर देने के परिणामस्वरूप उन्है प्रतिवादीगण बनाया गया है। अर्थात सेटलमेंट विभाग द्वारा उनका नक्शा छोटा बनाने के कारण उन्है प्रतिवादीगण बनाया गया है। वर्तमान खसरा नम्बर 91 के उत्तर में खसरा नम्बर 91/875 को भी सेटलमेट विभाग ने सिवाय चक बना दिया है। जो भी प्रतिवादी क्रम 4 ता 9 के सेटलमेन्ट के पूर्व का हिस्सा सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शें में था । अर्थात उक्त सिवायचक भूमि उनके ही खाते व नक्शें में दर्ज थी।

यह कि वर्तमकान खसरा नम्बर 91 रकबा 3.23 हैक्टर के उत्तरी कोने अर्थात तिकोने पर कभी भी वादीगण का कब्जा नहीं रहा। वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा नहीं है। वर्तमान में वादीगण खसरा नम्बर 93/860 रकबा 0.35 हैक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार सेटलमेट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण नक्शें में की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। तथा राजस्व रेकार्ड में व नक्शें में तरमीम किया जाना नितान्त आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

यह कि दिनांक 8.07.2017 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व अन्य लोगों ने वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 93/860 रकबा 0.35 है0 भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, तथा मारपीट की , प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 जबरन दादागिरी के बल पर वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण इस बात के अधिकारी है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सके कि वे जबरन ताकत के बल पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के खाते की व हिस्सा, जो कि वर्तमान में खसरा नम्बर 93/860 है, उक्त भू भाग पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 जबरन दखलदांजी ना करें। वादीगण को शांतिपूर्ण काश्त करने देवे , वादीगण के कब्जे में जबरन मदाखलत व मजाहमत ना करें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के विरूद्व जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी क्रम 10 जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, तथा लेण्ड होल्डर भी है, उनसे वादीगण ने सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि को दुरस्त करने की प्रार्थना की, किन्तु उन्होने असमर्थता जाहिर की, न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा, इस कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। हांलांकि उनके विरूद्व वाद लाने से पूर्व 2 माह की मियाद का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने से व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 जबरन दादागिरी के बल पर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का हो चुका है, ऐसी स्थिति में धारा 80(2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्व पृथक से प्रार्थना पत्र दिया जाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वाद कारण दिनांक 8.07.2017 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 93/860 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म सिवायचक जो कि सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के खाते में व नक्शे में दर्शायी हुयी थी, उसे त्रुटिवश नक्शें में फेरबदल करते हुये वादीगण के सेटलमेन्ट से पूर्व की भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा जबरन कब्जा करने की नियत से घुस कर वादी पक्ष के साथ मारपीट करने पर उत्पन्न हुआ। तथा विवादित आराजी तहसील पीपल्दा में स्थिति होने से न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। उक्त वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर वादीगण ने निम्न निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे।

(अ) कि वर्तमान खसरा नम्बर 93/860 रकबा 0.35 है0 का दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग ने त्रुटिवश सेटलमेन्ट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 721/71 मि0 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 724/141 मि0 रकबा 5 बीघा कुल 2 किता रकबा 17 बीघा 15

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम किये गये है, सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति बहाल रखते हुये , सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नम्बर 71 के दक्षिणी पूर्व कोने व खसरा नम्बर 141 के भी दक्षिणी पूर्वी कोने को नक्शें में दुरुस्त करते हुये, वर्तमान में नक्शें में दिखाये गये खसरा नम्बर 93/860 रकबा 0.35 है0 के नक्शे में दुरूस्ती की जावे। तत्पश्चात उक्त बढे हुये रकबे को खसरा नम्बर 720/71 पुराने नम्बर के स्थानल पर बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 91 जो कि प्रतिवादी क्रम 4 ता 9 के खाते का है उसके नक्शें में दुरूस्ती की जाकर उनका नक्शा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा छोटा कर दिया है, उस नक्शें को बढा किया जाकर वादीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 93/860 के उत्तरी कोने के तिकोने की भूमि के नक्शे को वादी वादीगण के नक्शे से कम किया जाकर प्रतिवादीगण क्रम 4 ता 9 के नक्शें में बढा कर दिया जावे। अर्थात जो उत्तरी तिकोना त्रुटिवश वादीगण के खाते में नक्शें में दर्शा दिया गया है, उसे दुरूस्त किया जावे तथा वादीगण के नक्शें से उत्तरी तिकोने को वादीगण के नक्शें में दुरूस्त किया जाकर हटाया जावे। तथा दक्षिणी पूर्वी तिकोना जो वर्तमान में खसरा नम्बर 93/860 रकबा 0.35 हैक्टर है, उसे नक्शें में व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ब) कि वाके ग्राम दुर्जनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 93/860 रकबा 0.35 है0 के कब्जें काश्त में पूर्वजों के समय से चली आ रही है, उसमें प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 जबरन कब्जा न करे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते हुये , नाजायज रूप से कब्जा करने की चेष्टा ना करें। वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के विरूद्व जारी की जावे।

(स) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण के हितार्थ हो जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की ओर से वकालत नामा श्री भागवन्त सिंह आसावत एडवाकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी नही होने से पुनः रजिस्टर्ड एडी से तलबी कराने के आदेश जारी किये गये। प्रतिवादी क्रम 4 ता 10 बावजूद सूचना पर उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही दिनांक 4.06.2019 को अमल में लायी गयी। तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण क्र 1 ता 3 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर तनकीयात की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्य वादी में रखी गयी। वादीगण की ओर से दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये। वादीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 , नकल ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत् 2070–2073 ख. नं. 93/2.87 है0 प्रदर्श3 , नकल ख.न.'

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

860 सम्वत् 2070–2073 प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस ग्राम दुर्जनपुरा प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी त्(2031–2034 प्रदर्श–6, मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2041–2060 प्रदर्श –7, नकल भू प्रबन्ध भाग प्रदर्श–8, नकल नक्शा ट्रेस सम्वत 2012 प्रदर्श–9, नकल जमाबन्दी ग्राम दुर्जनपुरा खसरा नम्बर 91/3.23 है0 प्रदर्श–10 एवं प्रकरण में साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यु 1 भरत का व पी.डब्ल्यु. 2 हरिशंकर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य वादी पूर्ण होने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस में रखी गयी। पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 3.03. 2020 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के अधिवक्ता की ओर से No Instruction plede किया गया। एवं प्रकरण में बहस एक तरफा सुनी जाकर मिसल वास्ते आदेश में दिनांक 18.03.2020 को नियत की गई।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस में प्रस्तुत वाद पत्र की मदों को दोहराया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं बहस का अवलोकन से हम पाते है कि वादीगण के विवादित आराजी खसरा नम्बर 93/860 का अधिकांश भाग सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 93 में ही शामिल था जो वादीगण के आज भी पूर्व की भांति कब्जे काश्त में है। अतः विवादित आराजी खसरा नम्बर 93 के नक्शे को सेटलमेन्ट के पूर्व के नक्शे के अनुसार वर्तमान रकबा व कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 93/860 में जर्ये तरमीम शुद्वि की जाकर पूर्ति की जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शे में अमल दरामद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम दुर्जनपुरा में वादीगण के विवादित आराजी खसरा नम्बर 93/860 का अधिकांश भाग सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 93 में ही शामिल था जो वादीगण के आज भी पूर्व की भांति कब्जे काश्त में है। अतः विवादित आराजी खसरा नम्बर 93 के नक्शे को सेटलमेन्ट के पूर्व के नक्शे के अनुसार वर्तमान रकबा व कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 93/860 में जर्ये तरमीम शुद्वि की जाकर पूर्ति की जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शे में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.1.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
सहायक कलेक्टर
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भंवरलाल पुत्र सीताराम
2– भरत पुत्र सीताराम
3– मोहनलाल पुत्र सीताराम
4– जुगराज पुत्र सीताराम
5– मंजूबाई पुत्री सीताराम
6– सुनीताबाई पुत्री सीताराम
7– कैलाशीबाई बैवा सीताराम
8– मूलीलाल पुत्र गोपीलाल
9– छोटूलाल पुत्र गोपीलाल
10– सीताबाई पुत्री गोपीलाल
11– रूकमणी बाई पुत्री गोपीलाल
जातियान कुम्हार निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)

(वादीगण)

बनाम

1– भैरूलाल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा
2– सुरेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा
3– परमानन्द पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा
4– ओमप्रकाश पुत्र कंवरलाल
5– बाबूलाल पुत्र कंवरलाल
6– कन्हैयालाल पुत्र कंवरलाल
7– शोभाग पुत्र कंवरलाल
8– कौशल्या पुत्री कंवरलाल
9– रामनाथी पत्नी कंवरलाल
जतियान मीणा निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)
10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादीगण)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर टी एक्ट

मिसल नं. 44/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम दुर्जनपुरा में वादीगण के विवादित आराजी खसरा नम्बर 93/860 का अधिकांश भाग सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 93 में ही शामिल था जो वादीगण के आज भी पूर्व की भांति कब्जे काश्त में है। अतः विवादित आराजी खसरा नम्बर 93 के नक्शे को सेटलमेन्ट के पूर्व के नक्शे के अनुसार वर्तमान रकबा व कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 93/860 में जर्ये तरमीम शुद्वि की जाकर पूर्ति की जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शे में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13-1-21 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	थमलान	0	0

(रामावतार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर
इटावा

Scanned with CamScanner